राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706847(O);

पत्रांकः F 7 (4) अकाद / आकाशि / सदन व्यवस्था / 2019 / 1223 Date: 21st June 2019

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय (समस्त)
राजस्थान।

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु सत्र 2019–20 से महाविद्यालयों में "सदन व्यवस्था (हाउस सिस्टम)" आरंभ करवाने के क्रम में।

महोदय,

राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ समुचित समन्वय, बेहतर सुविधाएं, समग्र विकास एवं गतिविधियों के सफल संचालन हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिये **महाविद्यालय स्तर पर पांच मूल तत्वों –पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि के नाम पर पांच सदन (हाउस) सृजित किये जाने हैं।** सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिन्दुओ / निर्देशों पर ध्यान देते हुये महाविद्यालय स्तर पर सत्र 2019–20 से विद्यार्थियों को उपर्युक्त पांच सदन (हाउस) में विभक्त करते हुए समूह बनवाया जाना सुनिश्चित करावें –

1. **ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अंतिमतः प्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय स्तर पर उपर्युक्त पांच सदन (हाउस) –पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि में विभक्त करना है,** जिसके लिये ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में प्रावधान करवाया गया है। महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को यथा निर्देशित सदन में विभक्त करते हुये उसे अप्रूव्ड करने पर सदन (हाउस) अनुसार विद्यार्थियों की सूची प्राप्त की जा सकेगी। इस संबंध में आयुक्तालय की आई.टी शाखा की ओर से आपको गार्गदर्शन हेतु शीघ्र ही निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।
2. यह सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय में पंजीकृत सभी नियमित विद्यार्थियों को सदन (हाउस) आवंटित हो चुका है। कोई भी नियमित विद्यार्थी सदन (हाउस) आवंटन से वंचित नहीं रहना चाहिए।
3. सभी नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को दिनांक 01 जुलाई को महाविद्यालय आने पर उनको आवंटित सदन (हाउस) की सूचना उपलब्ध करावें, तथा इसके लिये नोटिस बोर्ड पर भी सदन (हाउस) आवंटन की स्पष्ट सूचना लगवायें।
4. इस संबंध में यह स्पष्टतः निर्देशित है कि प्रथम वर्ष में विद्यार्थी को एक बार सदन (हाउस) आवंटित होने के उपरांत उसके आगामी वर्षो द्वितीय एवं तृतीय वर्ष स्नातक में उसका वहीं सदन (हाउस) रहेगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में सदन (हाउस) आवंटित होने पर स्नातकोत्तर उत्तर्रार्द्ध में भी वहीं सदन (हाउस) रहेगा।

सदन (हाउस) व्यवस्था द्वारा अपेक्षित गतिविधियां एवं सहभागिता :

1. पांच मूल तत्व आधारित नामों में से जिस नाम तत्व से संबंधित सदन (हाउस) में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन (हाउस) के नाम के अनुरुप विषय पर विद्यार्थियों के लिये भाषण, निबंध लेखन, सेमीनार पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करवाई जायें। साथ ही, भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय यथा भूगोल, अतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान; तथा विज्ञान संकाय के विषयों यथा वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि को सदन (हाउस) के नाम के साथ जोडते हुए विषय एवं प्राकृतिक मूल तत्व की महत्वता एवं समबद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवायें।
2. सदस्य विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाउस) के नाम के परिप्रेक्ष में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित करें।
3. महाविद्यालय में पदस्थापित सभी संकाय सदस्य भी इस सदन (हाउस) व्यवस्था के सदस्य रहेंगे तथा सदस्यता की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि एक विषय में पदस्थापित एक से अधिक संकाय सदस्यों में से सभी को एक–

एक सदन (हाउस) का सदस्य बनना है। एक सदन (हाउस) में एक ही विषय के एक से अधिक संकाय सदस्य तब तक नहीं जुडेंगे जब तक कि उस विषय में महाविद्यालय में पदस्थापित संकाय सदस्यों की संख्या 05 से अधिक नहीं हो।

4. किसी भी सदन (हाउस) से सम्बद्ध संकाय सदस्यों में से वरिष्ठतम संकाय सदस्य को उस सदन (हाउस) का संरक्षक नामित किया जाना है, तथा शेष सभी संकाय सदस्य उस सदन (हाउस) के वरिष्ठ सदस्य रहेंगे।
5. प्रत्येक सदन (हाउस) में सम्मिलित सभी विद्यार्थी उस सदन (हाउस) के छात्र सदस्य रहेंगे तथा सभी का स्तर समान रहेगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करना है।
5. प्रथम लेवल पर प्रत्येक सदन (हाउस) में गतिविधियां आयोजित करवाई जायेंगी। तत्पश्चात, महाविद्यालय स्तर पर अन्तर सदन (हाउस) गतिविधियां आयोजित करवाई जायेंगी ताकि विद्यार्थी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में महाविद्यालय स्तर पर क्षमता विकास एवं दक्षता अर्जन के अवसर प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों के लिये यह सदन (हाउस) व्यवस्था उनमें टीम भावना के साथ काम करने, लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामुहिक प्रयास का भाग बनने तथा परस्पर सहयोग की प्रवृति विकसित करने का माध्यम बनेगी। इस उद्देश्य को विद्यार्थियों में अधिकाधिक प्रचारित प्रसारित करावें।

विद्यार्थी हित केन्द्रित इस नयी व्यवस्था की सफलता एवं सक्रिय संचालन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त संकाय सदस्यों का दायित्व है। अतः इस योजना से लाभ के बारे में विद्यार्थियों को अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध करवायें। **दिनांक 15 जुलाई 2019 तक सदन (हाउस) आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करवाकर** आवश्यक रूप से संयुक्त निदेशक (अकादमिक) को उनकी ईमेल आई.डी **jdacad1960@gmail.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रदीप कुमार बोरड़ IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान

पत्रांकः F 7 (4) अकाद / आकाशि / सदन व्यवस्था / 2019 / ..... Date: 21st June 2019

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. सभी संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
8. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
9. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

21/6/2019
डा. आर. सी. मीणा
संयुक्त निदेशक, अकादमिक